

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में
प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन

-:: आनलाईन आवेदन सूचना ::-

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG) 2019 की प्रावीण्यता सूची के पात्र, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी एवं गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, उन अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन 06.08.2019 से 16.08.2019 तक आमंत्रित है।

ऑनलाईन आवेदन का तरीका एवं आवश्यक जानकारियों का cghealth portal में आयुष विभाग के वेबसाइट एवं निम्न वेबसाइट पर अवलोकन किया जा सकता है:-

1. www.cghealth.nic.in/ehealth/dishm/councellinginfo.html
2. www.gacraipurcg.in
3. www.gac.bilaspur.gov.in

शासकीय/निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों का प्रावधिक विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम		कुल सीट
(1)	(2)		(3)
1	आयुर्वेद	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	63
2		शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	64
3		राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, चंद्रखुरी, दुर्ग	51
4		छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव	51
5		भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल पुलगांव चौक दुर्ग	85
6		महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस राजनांदगांव	51
7	होम्योपैथी	सी. एल. चौकसे मेमो. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, लालखदान बिलासपुर	85
8		रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महा. एवं चिकित्सालय रामकुण्ड, रायपुर	43
9		महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर	43
10	यूनानी	मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडि. कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल बैजनाथ पारा, रायपुर	34
11	प्रा. योग वि.	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय, राधिका नगर, सुपेला भिलाई, दुर्ग	50
		कुल योग	620



.....2

- नोट :-
1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।
 2. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में EWS कोटे में प्रवेश का लाभ लेने हेतु निर्धारित वेबसाइट में अपलोड किये गये सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें एवं तदनुसार प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग/प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।
 3. दिव्यांग (Persons with Disabilities-PwD) कोटे में प्रवेश का लाभ लेने हेतु निर्धारित वेबसाइट में अपलोड किये गये भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का अधिसूचना दिनांक 18.06.2019 एवं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद का अधिसूचना दिनांक 19.06.2019 का अवलोकन करें एवं तदनुसार प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग/प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।
 4. आवेदन के पूर्व वेबसाइट में उपलब्ध छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों का भली-भांति अवलोकन किया जावे।
 5. आवेदन में त्रुटि सुधार दिनांक 16.08.2019 को मध्य रात्रि समय 11:59 बजे तक कर सकते हैं।
 6. आयुष महाविद्यालयों जिन्हे भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली/राज्य शासन से मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है, उन्ही महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़